(वाद सं0.-4567/4/24/2021)

06.04.2022

प्रसंगाधीन मामला, नगर पंचायत, राजगीर(नालन्दा) कार्यालय के सफाईकर्मी, परिवादी, बच्चन डोम, के जुलाई, 2016 को सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त पेंशन भुगतान न किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, नालंदा** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, नालंदा** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर, नालंदा व कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, राजगीर** के प्रतिवेदनानुसार परिवादी को सेवानिवृत्ति के उपरान्त अनुमान्य भविष्य निधि कटौती/अंशदान की समतुल्य कटौती राशि, उपादान की राशि तथा अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले भुगतेय समतुल्य राशि कुल 8,18,026/-रूपया का भुगतान किया जा चुका है।

प्रतिवेदनानुसार नगर परिषद् राजगीर में कर्मियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता है। पेंशन कर्मियों का पेंशन के नियम लागु होने पर परिवादी को अर्हता के अनुसार लाभ दिया जा सकेगा।

अब जबकि परिवादी को सेवानिवृत्ति के उपरान्त अनुमान्य सेवान्त लाभ का भुगतान कर दिया गया है तथा अनुमान्यता लागु होने पर परिवादी को अर्हता के अनुसार पेंशन का भी लाभ दे दिया जायेगा तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामलें में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

जिला पदाधिकारी, नालंदा के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार **जिला पदाधिकारी, नालंदा** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति अनुलग्नको सहित (पृष्ठ-23-14/प0) संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सदस्य

निबंधक